राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: नि र्ण य ::

केदार वगैरा। बनाम् राजस्थान राज्य।

एकलपीठ दाण्डिक अपील संख्या- 419 /2002 अन्तर्गत धारा- 374, दण्ड प्रक्रिया संहिता बविरूद्व श्री के.सी.जाट, आर.एच.जे.एस. ,अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) , गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक-23.3.2002, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B), 498 (A) व 201 के अन्तर्गत दोषसिद्व एवं दण्डित किया गया है।

निर्णय दिनांक- **जनवरी 22, 2007**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्री एम.एल. गोयल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
श्री अरविन्द कुमार शर्मा, अधिवक्ता मय
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता वास्ते परिवादी पक्ष।

न्यायालयद्वारा-

(1) अपीलार्थीगण ने इस दाण्डिक अपील में अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक-23.3.2002 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्न प्रकार दण्डित किया गया है:-

(1) **धारा- 304 (B),भारतीय दण्ड संहिता-** सात वर्ष का कठोर कारावास ।

(2) **धारा- 498 (A), भारतीय दण्ड संहिता-** एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 200/-,200/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।

(3) **धारा- 201, भारतीय दण्ड संहिता-** एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 200/-,

200/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक-एक माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास।

सभी दण्डाज्ञाओं को साथ-साथ भुगताने का भी निर्देश दिया गया।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी किशोर ने दिनांक-25.4.2000 को एक टाईपशुदा रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) पुलिस थाना गंगापुरसिटी पर इस आशय की प्रस्तुत की, कि उसने अपनी पुत्रियों सन्तरा एवं मृतका सूरजो का विवाह दिनांक- 9.5.1997 को अपीलार्थी केदार के पुत्र भरत लाल व दिनेश के साथ किया था जिसमें उसने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, किन्तु अपीलार्थीगण उससे संतुष्ट नहीं हुए एवं 50,000/-रूपये की ओर माँग की जिसपर उसने कहा कि वह गरीब आदमी है और 50,000/-रूपये की व्यवस्था नहीं कर सकता। जब शादी के बिदा के दो दिन बाद उसने अपनी पुत्रियों को लिवाने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद,रामकेश तथा अपने भतीजे लालू तथा बड़ी पुत्री के दामाद श्योनारायण को नौगॉव भेजा तो केदार ने उनसे कहा कि 50,000/-रूपये भेजे अथवा नहीं? इस पर उसके दामाद श्योनारायण ने उनसे कहा कि हमको तो लिवाने के लिए भेजा है हमारे साथ कोई रकम नहीं भेजी।इस पर केदार व उसके परिवार के सदस्य नाराज हो गये और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तथा उसकी बच्चियों से भी कहा कि अपने बाप से कह देना कि गौना तब ही होगा जब वह 50,000/-रूपये की व्यवस्था कर लेगा। अभियुक्तगण दो साल तक गौने को टालते रहे और गॉव के आदमियों के समझाने पर बड़ी मुश्किल से मृतका सूरजो का गौना करने को तैयार हुए और गौना करके मृतका को लिवाकर ले गये। गौने के दो दिन बाद जब उसका लड़का प्रहलाद व भतीजा लालू मृतका को लिवाने गये तो वहाँ पर मुल्जिमान ने उनके साथ गलत बर्ताव किया और कहा कि तुमने गौने पर भी ना तो टी.वी., सिलाई मशीन या पंखा दिया और ना ही 50,000/-रूपये दिये। इसपर मेरा लड़का प्रहलाद तो वगेर खाना खाये वापिस आ गया तथा भतीजा लालू दूसरे रोज मेरी लड़की सूरजो मृतका को साथ लेकर आया। जिसने उसे व उसकी पत्नी को बताया कि अभियुक्तगण रोजाना उसके साथ गाली-गफतार करते थे व ताना मारते थे। इसके बाद करीब 7-8 दिन पहले उसका दामाद भरत लाल मेरी लड़की सूरजा को लेने के लिए आया और उसने अपनी पूर्व गलतियों की माफी मॉगते हुए मेरी पत्नी को कहा और विश्वास दिलाया कि भविष्य में कोई भी परिवार का व्यक्ति मृतका सूरजो के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा । इस आश्वासन पर उसकी पत्नी ने सूरजो को भरत लाल के साथ भेज दिया। दिनांक-24.4.2000 को उसके भतीजे नवल के पास केदार का भतीजा फूल व एक अन्य माली

सुबह करीब 8.00 बजे आये और उन्होंने बताया कि सूरजो कही भाग गई है। इस पर मेरी पत्नी व मेरे भतीजे नवल की पत्नी दोनों सूराजो को तलाश करने गयी। प्रहलाद को भी जब सूरजो के गायब होने की खबर मिली तो वह भी साईकिल लेकन सूरजो की तलाश में नोगॉव गया तो उससे किसी ने कहा कि सूरजो का तो दाग भी लग गया है। जब वह शाम को 4-5 बजे घर आया तो उसे उसके पुत्र प्रहलाद व पत्नी ने सारी बात बताई इस पर वह अने साथ पून्या और श्योनारायण को लेकर नौगॉव के लिए रवाना हुआ तो वहॉ पर पता चला कि मृतका सूरजा को नियमित श्मशान में न जलाकर नाले में एकान्त स्थान में ले जाकर जला दिया। इस पर उन्होंने नाले में जाकर देखा तो वहॉ पर एक चिता जली हुई दिखाई दी। वहॉ पर कोई कपड़े वगैरा भी नहीं थे।इस पर जब वे नाले से वापिस आ रहे थे तो सुगन्या माली ने उन्हें बताया कि तुम्हारी लड़की को तो कुए में से निकालकर दाग भी लगा दिया है। इस पर उन्हें शक हुआ तो वे पुराने गॉव में सरपंच के घर गये जहॉ सरपंच तो नहीं मिला किन्तु उसके भतीजे भरत सिंह ने उन्हें बताया कि रात को उसकी भैंस कुए में गिर गयी थी जिसको निकालने के लिए वह सुगन्या के यहॉ नाडी लेने जा रहा था तो रास्ते रात्रि को करीब 12.00 बजे केदार, भरतलाल व उसकी लड़की सूरजो कुए पर खड़े दिखे। उसने यह भी बताया कि उसने केदार से पूछा कि आधी रात को कुए पर क्यों आये हो, तो इस पर केदार ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने नौगॉव जाकर मालूमात किया तो उन्हें पता चला कि मुल्जिमान केदार, उसकी पत्नी प्रेम व उसके लड़के भरतलाल एवं दिनेश ने मिलकर दहेज ना मिलने के कारण उसकी पुत्री सूरजो को मार दिया है तथा उसे सूचना दिए वगैर चुपचाप मुल्जिमान व उनके साथ के दीगर व्यक्तियों ने सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से नाला में एकान्त स्थान में ले जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया।

(3) उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा-304 (B), 498 (A) एवं 201,भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया, शमशान से राख व हड्डी जप्त की गई।शमशानघाट में अग्नि के ढेर से सिर में लगाने की एक क्लिप मिली जिसे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। राख एवं हड्डी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये।प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो जाने पर मुल्जिमान के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 (B), 498 (A) एवं 201 का आरोप बनना पाये जाने पर उनके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अन्वीक्षा हेतु सेशन सुपुर्द किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व धारा- 304 (B), 498 (A) एवं 201,भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गये। अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा

चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में 9 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा-313, दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किए गये। अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में 9 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 11 प्रलेख प्रदर्शित करवाये। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थीगण को उपरोक्त प्रकार से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

(4) विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, सुयोग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(5) पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित करने पर अभियोजन पक्ष के केस में निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं:-

(A) टाईपशुदा रिपोर्ट (प्रदर्श/पी-1), जो कि किशोर (अभि.साक्षी सं.1) द्वारा पुलिस थाना गंगापुरसिटी पर दिनांक-25.4.2000 को सायं 6 बजकर 10 मिनिट पर प्रस्तुत की गई थी, पर पुलिस कार्यवाही निम्नप्रकार लिखी गई थी-

> "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी श्री किशोर पुत्र घमण्डी, जाति माली, उम्र-40 साल निवासी अमरगढ़ चौकी थाना गंगापुरसिटी ने उपस्थित थाना होकर पेश की, जो पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये मजीद दरियाफ्त पर देरी का कारण मुझे साम को देर से खबर मिली हमने लड़की के बारे में मालूम किया जब सही पता चला तब आज **<u>वकील के पास आये रिपोर्ट टाईप कराकर लाकर</u>** (न्यायालय द्वारा रेखांकित) पेश की है।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161 के अन्तर्गत किशोर के कथन (प्रदर्श-डी-1) लेखबद्ध किए गये जिसमें 'ए' से 'बी' भाग में किशोर ने निम्न कथन किया है-

> "कल शाम को वकील के पास जाकर रिपोर्ट टाइप कराकर गंगापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। "

किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष इस किशोर (अभि. साक्षी सं.1) ने अपने प्रति-परीक्षण में निम्न कथन किया है:-

> "मैंने गंगापुरसिटी थाने के पास ही बैंक के सामने एक आदमी

मिला जिसने कहा कि मैं रिपोर्ट लिख दूंगा तब मैने उससे रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने बाहर सड़क पर ही रिपोर्ट लिखी थी। उसे कागज मैंने ही लाकर दिया था। पेन उसके पास ही था। उस रिपोर्ट को मुझे पढ़कर सुनाया व मेरे हस्ताक्षर करवाये फिर मैंने उस रिपोर्ट को थाने में पेश कर दी। रिपोर्ट को ज्यों की त्योही लेकर चला गया था। उस रिपोर्ट को जेब में नहीं रखी थी। मैं किसी वकील की सलाह करके रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। मेरा पुलिस ने बयान लिया था प्रदर्श डी-1 का भाग 'ए' से 'बी' कल शाम को .... रिपोर्ट दर्ज करायी थी। यह गलत है कि ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया था। मैंने उस आदमी ने सड़क पर बैठकर लिखी रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई रिपोर्ट थाने में पेश नहीं की थी। उसी दिन एक रिपोर्ट टाईप कराकर मैंने पेश की थी।"

(B) मृतका के ससुराल के आस-पास रहने वाला कोई साक्षी इस तथ्य की पुष्टि के लिए परीक्षित नहीं करवाया गया है कि विवाह के उपरान्त मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान किया हो तथा मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ना दी गई हो ।

(C) अभियोजन पक्ष ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनमें किशोर (अभि.साक्षी सं.1) मृतका का पिता है, प्रहलाद (अभि.साक्षी संख्या-3) मृतका का भाई है, पून्या (अभि.साक्षी सं0 4) किशोर का भतीजा है, मिश्री (अभि.साक्षी सं.5) मृतका की माता है तथा शांति (अभि.साक्षी सं.6) मृतका की बहिन है।

(D) यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं हो सका है कि जिस स्थान पर मृतका का दाहसंस्कार किया गया था वह शमशान नहीं था।

(E) यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सका है कि मृतका के दाहसंस्कार में मृतका का पिता किशोर व भाई प्रहलाद सम्मिलित नहीं हुए हो।

(F) अपीलार्थीगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में 9 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। अपीलार्थी केदार ने उसके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अन्तर्गत लेखबद्ध किए गये कथनों के साथ एक विस्तृत लिखित कथन भी प्रस्तुत किया है जिसमें अभिकथित किया है कि घटना के दिन प्रात: 7-8 बजे मृतका भैंस को पानी पिलाने गई थी। भौती उसके साथ पानी भरने गई थी। भैंस ने मुंडकड़ी मारी जिससे सूरजो कुवे में गिर गई। पहले मोटर चलवाकर पानी निकलवाया व फिर उसने स्वयं ने व और लोगों की मदद से सूरजो को कुवे से निकाला। उसके पेट से पानी निकाला, लेकिन वह मर चुकी थी। उसे कुवे में गिरते भौती व फूल सिंह व कई अन्य लोगों ने देखा था। उसने फूल

सिंह को चिरौली सूरजो की मौसी के पास तथा श्री लाल और रामस्वरूप को किशोर को बुलाने अमरगढ़ चौकी भेजा था। दोपहर तक किशोर नहीं आया तो पंचों व गॉव के बुजुर्गों ने कहा की गर्मी है लाश खराब हो जावेगी। दाग दे दो। गॉव का सरपंच व उप सरपंच भी वही थे। हमने जोगियों के मरघट के पास हमारे मरघट पर सूरजो का दाग लगा दिया। थोड़ी देर बाद ही किशोर जुगाड़ में आया उसके साथ उसका लड़का प्रहलाद, पत्नी मिश्री, दामाद श्योनारायण व साली कमला और शांति भी थे। किशोर लूगड़ी लाया था जिसे उसने बेरड़ी में टांग दी। किशोर आते ही नाराज होकर गाली-गलोच करने लग गया व धमकी दी कि वह सारे गॉव को ऐसे मुकदमें में फंसावेगा कि किसी की जमानत भी नहीं होगी। वह घर नहीं आया,शमशान से ही वापिस चला गया। दाग के बाद किशोर उसका लड़का व दामाद सुगन्या की कोठी पर नहाये औरते मेरे कुवे पर डीजल का इंजन चलवाकर नहाई थी। जिस कुवे में सूरजो गिरी मेरे मकान के पीछे ही है। उसमें बिजली की मोटर लगी हुई है। कुवे की खातेदारी दयाराम सरपंच के पिता धाधू राम के नाम है। गॉव के सब लोग इसी कुवे से पानी भरते हैं, नहाते हैं तथा मवेशियों को पानी पिलाते हैं। उसके व किशोर के दोस्ताना ताल्लुक थे। शादी के वक्त भी उसने किसी प्रकार की कोई मॉग नहीं की। शादी में जो सामान व रूपया किशोर ने दिया उसकी लिस्ट नवल डायरेक्टर ने बनाई थी। पंचों के सामने लिस्ट व सामान, रूपया मुझे दिया था। किशोर को शादी के बाद व लैण्ड रेवेन्यू के केस के बाबत् उसने दयाराम सरपंच से 10,000/-रूपये अपनी जिम्मेदारी पर दिलवाये थे। सालभर बाद उसने लौटाने को कहा, वह टालमटोल करता रहा फिर नाराज होकर गाली गल्ला करने लगा व रूपया लौटाने की मना कर दी। इसी नाराजगी के कारण उसने गौना करने से मना कर दिया। पॉच आदमियों के समझाने के बाद में बड़ी मुश्किल से गौना किया। बाद में 10,000/-रूपये मैंने दयाराम को जमा कराये। किशोर इसी कारण मुझसे नाराज था। किशोर ने इसी नाराजगी व अनबन के कारण सलाह मशविरा करके व पुलिस से मिलकर यह झूंठा मुकदमा बनाया है। सारी बाते मनगढ़न्त व झूठी है। वकीलों की सलाह से लिखाई है। टी.वी. पंखा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे घर में बिजली नहीं है तथा मेरी हैसियत भी नहीं है कि बिजली लगवा सकूं।शादी के बाद किशोर के कहने से मैंने सिलाई मशीनें महमान व लड़कियों के साथ वापिस भेज दी थी। रामेश्वर ऊंटगाड़ी वाले के साथ भेजा था। चयनित परिवार का होने व लोन आदि के कागजात पेश कर रहा हूं।अभियुक्त/अपीलार्थीगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में परीक्षित करवाये गये साक्षीगण मोती (डी.डब्ल्यू.1) , रमनजी (डी.डब्ल्यू.2), माधो डी.(डब्ल्यू.3), सुगन (डी.डब्ल्यू.4), दयाराम (डी.डब्ल्यू.5), भोती (डी.डब्ल्यू.6), फूलसिंह (डी.डब्ल्यू.7), रामअवतार बंसल (डी.डब्ल्यू.8) व रामेश्वर

(डी.डब्ल्यू.9) ने भी अपीलार्थी केदार के उक्त कथनों का समर्थन किया है।

(6) अपीलार्थीगण की ओर से जो तथ्य/ साक्ष्य प्रस्तुत किए गये हैं वे अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं और उक्त तथ्यों/साक्ष्य के समक्ष अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को परीक्षित करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B), 498 (A) एवं 201 के आरोपों संदेह से परे सिद्व करने में असफल रहा है। जिस परिवार में घर में बिजली ही नहीं हो वह टी.वी., फिज, पंखे की माँग किस प्रकार कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील साहब, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है वह रिपोर्ट लिखाते समय यह भूल गये कि मृतका जिस परिवार में ब्याही है उस घर में बिजली नहीं है। जहॉ तक अपीलार्थीगण द्वारा 50,000/-रूपये की माँग दहेज में किए जाने का प्रश्न है, वह किसी भी प्रकार उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अपीलार्थी केदार द्वारा किशोर को 10,000/-रूपये उधार दिलवाये गये थे और किशोर द्वारा वह रूपये नहीं चुकाने पर केदार ने ही वह रूपये चुकाये थे। अत: जब अपीलार्थी केदार स्वयं ने मृतका के पिता किशोर की सहायता की है की है तो यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थीगण ने दहेज में किशोर से 50,000/-रूपये की माँग की हो। वैसे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि शादी में जो सामान दिया गया था उसकी सूची स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। समग्र तथ्यों के विवेचन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण विरूद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के केस की उपरोक्त विवेचित त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दण्डित करने में त्रुटि की है।

(7) परिणामत: यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) ,गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक- 23.3.2002 निरस्त किया जाता है। अपीलार्थीगण की की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा निरस्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B), 498 (A) एवं 201 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीया श्रीमती प्रेम जमानत पर है, उसे समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण केदार व भरत लाल, जो कि न्यायिक अभिरक्षा में है, यदि अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उन्हें अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)